न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 17/2021

1. यादराम उम्र 41 साल पुत्र श्रीलाल
2. अतरूप उम्र 45 साल पुत्र श्रीलाल

} जाति गूर्जर निवासी ग्राम अडडा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1. वेदसिंह उम्र 39 साल पुत्र हरज्ञान
2. धारा उम्र 26 साल पत्नी हरज्ञान
3. रूपन उम्र 69 साल पत्नी हरज्ञान

} जाति गूर्जर निवासी अडडा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 29.10.2001 बाबत नामान्तरकरण संख्या 70 वांकै ग्राम अडडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपी0
2. श्री गोविन्द सिंह डांगुर, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 15.12.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 29.10.2001 पेश की गई है। है। अपीलाधीन आदेश विरासत के आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नामान्तरकरण संख्या 70 बाकै अडडा तहसील बयाना स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 70 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टस एवं पिता श्रीलाल को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है। तहत न्यायालय द्वारा रैस्पो0 के पिता हरज्ञान के बताये अनुसार बिना अपीलान्टस के और पिता श्रीलाल की जानकारी में लाये आदेश गलत व मौके के विपरीत पारित किया है। तहत न्यायालय द्वारा बाद नोटिस अपीलान्टस मृतक रामप्रसाद के द्वारा तहरीर व सम्भलाई गई वसीयतनामा को तलब नही करने में घोर त्रुटि की है। तहत न्यायालय ने अपीलान्टस का कब्जा रामप्रसाद की मृत्यु के बाद से बदस्तूर होने के बाबजूद कोई जानकारी नहीं की है न ही सक्षम कर्मचारियों से कब्जा बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं करने की अनदेखी की है। अपीलान्टान को नामान्तरकरण नम्बर 70 वाकै ग्राम अडडा दिनांक 29.10.2001 की प्रथमबार जानकारी रैस्पोडेन्टस द्वारा दिनांक 25.02.2021 को धमकी दिये जाने एवं अजनवी केता भूरीदेवी के हक में बयनामा तस्दीक किये जाने पर हुई और विरासत का नामान्तरकरण संख्या 70 के जानकारी में आते ही तहसील से नकल प्राप्त कर अपनीलान्ट ने अपनी अपील पेश कर दी। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाकर अपील पर सुनवाई की जावे साथ ही सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपने चाचा रामप्रसाद की आराजी बाबत उदघोषणा का बाद भी पेश कर रखा है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टान ने कहां कि माननीय न्यायालयों ने अपने कई निर्णयों में यह तय किया है जब उदद्योषणा संबंधी बाद किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये क्योकि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिसमें वसीयत गोद उत्तराधिकार के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय संभव नही होता। अतः अपील मंजूर की जाकर नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 29.10.2001 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें पेश कीः—

1. आर.आर.डी. 2005 पेज 85
2. आर.आर.डी. 1983 पेज 275
3. डी.एन.जे. (राजस्व) 2020 पेज 155

अभिभाषक रैस्पो0 ने अभिभाषक अपीलान्टान की बहस का जबाब देते हुये सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर आपत्ति की। अपील विवादास्पद आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिये परन्तु प्रस्तुत प्ररकण में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 29.10.2001 यादि 20 वर्ष पुराने नामान्तरकरण को चैलेज किया गया है। हरवंश के तीन लडके श्रीलाल, हरज्ञान व रामप्रसाद हुये। रामप्रसाद के बिना वारिस फौत होने पर उनके हिस्से की आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 29.10.2001 श्रीलाल व हरज्ञान के बहिस्सा बराबर दर्ज हुई है। अपीलान्टान किसी फर्जी वसीयत जिसमें रामप्रसाद द्वारा अपने जीते जी अपीलान्टान के नाम किया जाना बताकर अपनी अपील लाये है। पत्रावली में अपीलान्टान ने जो छायाप्रति वसीयत पेश की है उसकी दिनांक 11.06.1996 है एवं गवाह के रूप में राधेश्याम गांव थलपुर गंगापुर सवाईमाधौपुर एवं गिरजसिंह गांव खेडा हिन्डौन सवाईमाधौपुर के अंगूठा निशानी है। विवादित नामान्तरकरण रामप्रसाद की मत्यु के बाद 2001 में खोला गया है यदि अपीलान्टान के पक्ष में मृतक द्वारा कोई वसीयत लिखी थी तो उन्हे मृत्यु के समय ही वसीयत के आधार पर अपना नाम चढवा लेना चाहिये था। परन्तु इनते लम्बे समय के बाद अपील पेश करने का कोई जस्टीफाइड कारण अपीलान्ट ने नहीं दिया है। अपील म्याद बाहर हाने के कारण काबिल खारिज है। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2010 पेज 289, आर.आर. टी. 2002(2) पेज 990, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 154 (एस.सी.) उद्धरित की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने तथाकथित वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा पेश कर रखा है। रेगूलर सूट के चलते संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चल सकती। इस कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2002 पेज 990 उद्वरित की। तथाकथित वसीयत अनरजिस्ट्रर्ड है और अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो सकती। इस कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2009(1) पेज 500 उद्वरित की। साथ ही गोद, वसीयत जैसे जटिन प्रश्न नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही से तय नहीं किये जा सकते। इस प्रकार के प्रश्न तो दावे में विवाधक कायम कर ही उसमें निस्तारण से तय किये जा सकते है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रैस्पो0 ने निम्न न्यायिक नजीरे पेश की–

1. आर.आर.टी. 2009(1) पेज 376
2. आर.बी.जे. 2004 पेज 610
3. आर.बी.जे. 2004 पेज 514
4. आर.आर.टी. 2021 पेज 952

अतः अपील अपीलान्ट म्याद बहार एवं मैरिटलैस होने के आधार पर मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अपने चाचा रामप्रसाद द्वारा उनके हक में की गई वसीयत के आधार पर अपनी अपील लाये है एवं नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 29.10.2001, जिसके द्वारा रामप्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उसका हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शेष दो भाईयों हरज्ञान एवं श्रीलाल के नाम दर्ज हुआ है, को निरस्त करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा वसीयत की छायाप्रति पेश की है जिसमें दिनांक 11.06.1996 अंकित है एवं विवादित नामान्तरकरण 2001 का है। यदि रामप्रसाद द्वारा अपीलान्ट के हक में कोई वसीयत निष्पादित कर रखी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

थी तो अपीलान्ट को रामप्रसाद की मृत्यु के बाद ही सक्षम न्यायालय में उदघोषणा के माध्यम से विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करा लेनी चाहिये थी। लेकिन 20 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई जस्टीफाइड कारण अपीलान्ट प्रस्तुत नहीं कर सके है। अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि वाईड आर्डर की अपील के लिये कोई म्याद नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे डी.एन.जे. 2020 पेज 155 अपने हिस्से से अधिक शेयर बेचने से संबंधित है, अपने हिस्से से अधिक रकवे का बेचान निश्चित रूप से वाईड है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर रामप्रसाद की विरासत उसके लावल्द फौत होने पर उसके दोनो भाईयों के नाम दर्ज हुई है। जिसमें वैधानिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं है। अतः डिलेकन्डोन के सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। अपनी अभिरक्षा में अभिलेख होने के बाबजूद अपने नाम रिकार्ड में अंकन नहीं कराने की कार्यवाही नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं है। अस्तु म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

थे ताना फौत हो चुके है रामप्रसाद के कोई शादी नहीं हुई थी इसलिये